# दिल्ली विधान सभा

### समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) शुक्रवार,07 अप्रैल,2006/चैत्र 17,1928(शक)

संख्या- 145

## विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, एस.एच.ओ,,भजनपुरा,दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों,डॉ.हर्षवर्द्धन, श्री मोहन सिंह बिष्ट एवं श्री साहब सिंह चौहान मुखी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 107/151 अंतर्गत दिनांक 06.04.2006 को 11.45 बजे, भजनपुरा चौक, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से अप. 13.20 बजे रिहा कर दिया गया"।

सिद्धार्थ राव सचिव

### **DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**

**BULLETIN PART-II** 

(General information relating to legislative and other matters)
Friday 07<sup>th</sup> April 2006/17Chaitra 1928

No. 145

### Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Bhajan Pura, Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Dr. Harshvardhan, Shri Mohan Singh Bisht and Shri Sahab Singh Chauhan, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 107/151 of Delhi Police Act, 1978 from Bhajan Pura Chowk, Delhi at 11.45 hrs. on 6.4.2006.

They were released at 1320 hrs. from the same place on the same date."

Siddharath Rao Secretary